राजस्थान में श्री गुरु नानक देव सिक्ख कल्याण बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों?

14 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैशाखी पर्व के अवसर पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के सिक्ख समुदाय के विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नयन एवं सर्वांगीण विकास (कल्याण) के लिये श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा गठित गुरुनानक देव सिख कल्याण बोर्ड में कुल मनोनीत 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। साथ ही, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बोर्ड के सचिव पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उपनिदेशक स्तर का अधिकारी कार्य संपादित करेगा।
- इस बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
- इस बोर्ड का उद्देश्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिये योजनाएँ प्रस्तावित करना और रोज़गार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना है।
- यह बोर्ड सिख समुदाय के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी सुझाव देगा। इसके साथ ही बोर्ड सिख समुदाय की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय के परंपरागत व्यवसायों को आधुनिक रूप देने के लिये भी सुझाव देगा।
- अधिसूचना के अनुसार बोर्ड सामजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक योजनाओं में सिख समुदाय की भागीदारी, समुदाय के लिये नवीन योजनाओं की प्रगति और इनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों और समाधान हेतु निरंतर समीक्षा करेगा।
- इस बोर्ड का कार्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों की समस्या की पहचान करना, सर्वेक्षण करना तथा उनके समग्र विकास के कार्य करना है। सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के आर्थिक अभिवृद्धि, उन्नयन, उत्थान के लिये विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करना तथा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाना है।
- इसके साथ ही बोर्ड का कार्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के विकास से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अभिशंसा के साथ प्रेषित करना, सिख समुदाय की सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिये राज्य सरकार को अभिशंसा के साथ सुझाव देना, सिख समुदाय के लिये संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना है।
- इसके अतिरिक्त बोर्ड के प्रमुख कार्य सिख समुदाय के परंपरागत व्यवसाय की वर्तमान स्थिति, हालात में बदलाव के तौर तरीकों में आधुनिक दृष्टिकोण से उन्नयन के लिये सुझाव देना, सिख समुदाय की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना, सिख समुदाय की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं तथा ट्रस्ट में बतौर कार्मिक कार्य करने वाले ग्रंथी/सेवकों तथा कर्मचारियों को रोज़गार के बेहतर अवसर/सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव देना है।
- श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/formation-of-shri-guru-nanak-dev-sikh-welfare-board-in-rajasthan